न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. ७९/2025

प्रार्थी–
चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईंनेस कम्पनी लिमिटेड, कार्यालय–द्वितीय मंजिल, किया कुम्भट शो रूम के उपर, प्रताप नगर रोड़, टेम्पों स्टेण्ड के पास, जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. श्री कैलाश मांगाराम पुत्र मांगाराम निवासी–खसरा नंबर 1698, दूध डेरी के पास, विष्णु कॉलोनी, बाड़मेर जिला बाड़मेर
2. श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री केलाश, निवासी–खसरा नंबर 1698, दूध डेरी के पास, विष्णु कॉलोनी, बाड़मेर जिला बाड़मेर
3. विनिता कॉल सप्लायर्स, शिवम हॉस्पिटल के पास नवले की चक्की, बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–
1. श्री श्री महेन्द्र जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 24.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थी(गण) श्री कैलाश मांगाराम व अन्य के विरूद्ध पेश किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थी(गण) श्री कैलाश मांगाराम व अन्य की प्रार्थना एवं व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज में कुल 70,00,000/– रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी(गण) ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त [illegible] एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया [illegible] अप्रार्थी(गण) सं. 1 से 3 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व [illegible] किया तथा प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति यथा श्री कैलाश पुत्र मांगाराम के [illegible] भूमि व भवन सहित [illegible]सीय सम्पति, पट्टा नंबर एफ–08/कृषि भूमि/2022/11495 दिनांक 05.07.2022,

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

खसरा नंबर 3443/1698, विष्णु कॉलोनी, बाड़मेर बनाम कुल क्षेत्रफल 204.83 वर्गमीटर को प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 30.12.2023 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थी(गण) द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.01.2025 तक बकाया शेष रूपये 71,22,387/– भुगतान नहीं करने पर अप्रार्थी(गण) का खाता एनपीए घोषित कर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी(गण) के नाम से पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी तथा नोटिस का समाचार पत्रों मे भी प्रकाशन करवाया। प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी(गण) के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व में है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे में लेना सम्भव नहीं है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

3. हमने पत्रावली क अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थी(गण) को राशि रूपये 70,00,000/– ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थी(गण) बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष मे रहन रखी है एवं अप्रार्थी(गण) से दिनांक 03.01.2025 तक कुल 71,22,387/– बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थी(गण) को पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी तथा नोटिस का समाचार पत्रों मे भी प्रकाशन किया जाकर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। *सुनंदा कुमारी (श्रीमती) बनाम स्टैण्डर्ड चार्टड बैंक, 2007 (135) कम्प.केस. 604 (कर्नाटक)* के प्रकरण में जैसाकि निर्धारित किया गया हैं कि यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका हैं तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 14 के अधीन प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से धारा 13(2) को नोटिस विधिवत रूप से अप्रार्थी(गण) को संसूचित किया गया है, इसके पश्चात भी अप्रार्थी(गण) द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में विहित प्रावधान के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे मे दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी(गण) 1 से 3 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त "श्री कैलाश पुत्र मांगाराम के नाम भूमि व भवन सहित रहवासीय सम्पति, पट्टा नंबर एफ–08/कृषि भूमि/2022/11495 दिनांक 05.07.2022, खसरा नंबर 3443/1698, विष्णु कॉलोनी, बाड़मेर बनाम कुल क्षेत्रफल 204.83 वर्गमीटर" का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 24.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested